रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/ कार्तिक 11, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 651

No. 214] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/ KARTIKA 11, 1940 [N.C.T.D. No. 651

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 नवम्बर, 2018

फा.सं.3/06/2017/हेस्मा/एचपी–II.–1078–90.–जबकि गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 3/06/ 2017/ हेस्मा/एचपी–।। दिनांक 19.4.2017 हेस्मा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली **केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं** (कैट) में **आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़े संविदाकारी कर्मचारियों** के विरूध दिल्ली के नागरिक के जीवन के लिए निर्वाध स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य रखने हेतु छः माह के लिए अधिरोपित किया गया था जिसकी वैधता दिनांक 4.11.2018 तक है ।

और जबकि **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के** उपराज्यपाल संतुष्ट हैं दिल्ली के नागरिक के जीवन के लिए निर्वाध स्वास्थ्य एम्बूलेंस सेवाएं अनिवार्य रखने हेतु यह आवश्यक है कि हेस्मा का विस्तार अगले छः माह के लिए **केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं** (कैट) में **आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़े संविदाकारी कर्मचारियों के** विरूद्व बढाया जाए ।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 1993 की अधिसूचना सं0 जी एस आर 526 (अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं0 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा कथित सेवाओं को अनिवार्य सेवाएँ घोषित करते हैं और **केन्द्रीय दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं** (कैंट) के **आउटसोर्सिंग एजेंसी से जुड़े संविदाकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** में

उपलब्ध कराए जाने वाली एम्बूलेंस सेवाएं की हडताल पर प्रतिबंध दिनांक 4.11.2018 से अगले छः माह के लिए किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ पी मिश्रा, विशेष सचिव (गृह)

HOME (POLICE –II) DEPARTMENT,

NOTIFICATION

Delhi, the 1st November, 2018

No. F. 3/06/HESMA/2017/HP-II/.—1078-90 Whereas the vide Home Department GNCTD Notification No. 3/06/HESMA/2017/HP-II/2821-27 dated 19.04.2017 HESMA was imposed against contract employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS), GNCTD for a period of six months to secure uninterrupted health services necessary for the life of the community of the citizen of Delhi. The said notification is valid up to 04.11.2018.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that to ensure life saving essential services of ambulances uninterruptedly to the citizen of Delhi, It is necessary to extend HESMA for another period of six months against contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS).

Now, therefore, the Lt. Governor, of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike/agitation by any of the contractual employees engaged through outsourced agency in Centralised Accident & Trauma Services (CATS) ambulance services run by the Govt. of National Capital Territory of Delhi for another period of six months w.e.f 04.11.2018.

By Order and In the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
O.P. MISHRA, Special Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.12 21:57:12 +05'30'